



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 26 मई, 2010

ज्येष्ठ 5, 1932 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा अनुभाग-11

संख्या 657/15-11-2010-1499(204)-2004

लखनऊ, 26 मई, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा10प0नि०-33

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2010

भाग एक-सामान्य

1-(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2010" कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

सेवा की
प्राप्ति

परिभाषाएं

2-उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है।

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है।

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ङ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा से है;

(ट) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ठ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4-(1) सेवा की सदस्य संख्या और इसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है; परन्तु यह कि:-

(एक) किसी रिक्त पद को नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें यह उचित समझें।

भाग तीन-भर्ती

5-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। भर्ती का चयन

6-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। आरक्षण

भाग चार-अर्हताएं

7-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगान्डा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी -ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए, अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट शैक्षिक अर्हता "ख" में प्रत्येक पद के सम्मुख विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। शैक्षिक अर्हता

9-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा - अधिमानी अर्हताएं

(एक) जिसके पास नियम-8 में उल्लिखित पद के संबंध में अधिमानी अर्हताएं हों; या

(दो) जिसने प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या

(तीन) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

भाग तीन-भर्ती

5-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

6-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग चार-अर्हताएं

7-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

राष्ट्रीयता

- (क) भारत का नागरिक हो; या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
- (ग) भारतीय गूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांजानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी -ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8-सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए, अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट शैक्षिक अर्हता 'ख' में प्रत्येक पद के सम्मुख विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी आवश्यक हैं।

9-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा - अधिमानी अर्हताएं

- (एक) जिसके पास नियम-8 में उल्लिखित पद के संबंध में अधिमानी अर्हताएं हों;
- या
- (दो) जिसने प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या
- (तीन) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

सेवा की
प्राप्ति

2-उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय;

(घ) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ङ.) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों, के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ञ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा से है;

(ट) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4-(1) सेवा की सदस्य संख्या और इसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है; परन्तु यह कि:-

(एक) किसी रिक्त पद को नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें यह उचित समझें।

आयु

10-सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेंडर वर्ष की पहली जुलाई को जिस रिक्तियों विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र

11-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी - संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए, दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रारिथ्य

12-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वरथता

13-किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेशियल हैण्ड बुक-खण्ड दो, भाग-तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वरथता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

भाग-पाँच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित भी करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15-(1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में प्रकाशित विहित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किए जायेंगे,

(2) आयोग नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतनी संख्या में, जितनी वह उचित समझे, अभ्यर्थियों को, जो अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलाएगा।

(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर- बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित करेगा।

भाग छ—नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

16—(1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें उनके नाम नियुक्ति नियम 15 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में यथाआधारित ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा।

17—(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक के लिए अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी।

(3) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवाएं उप-नियम (3) के अधीन समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

18—किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के स्थायीकरण अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

19—सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जाएगी।

भाग सात—वेतन इत्यादि

20—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

21—(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परीक्षा अवधि में वेतन परीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और जहाँ विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी जब उसने परीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थाई भी कर दिया गया हो।

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाय तो इस प्रकार बढ़ा दी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थाई सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग आठ-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

22-किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

23-उन विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

24-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यह कि जहाँ आयोग के परामर्श से कोई नियम बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

25-इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनकी इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

जितेन्द्र कुमार,

सचिव।

परिशिष्ट 'क'
[नियम 4(2) और 20 (2) देखिये]

क्र०सं०	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान		
		स्थायी	अस्थायी	योग	वेतन बैंड का नाम / वेतनमान	तत्सदृश वेतनबैंड / वेतनमान(रु०)	तत्सदृश ग्रेड वेतन (रु०)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शोध सहायक, हिन्दी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
2	शोध सहायक, अंग्रेजी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
3	शोध सहायक, गणित, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
4	शोध सहायक, विज्ञान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
5	शोध सहायक, सामाजिक विषय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
6	शोध सहायक, शिक्षाशास्त्र, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	01	—	01	"	"	"
7	प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	140	140	"	"	"
8	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
9	प्रवक्ता, हिन्दी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
10	प्रवक्ता, अंग्रेजी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
11	प्रवक्ता, उर्दू, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	बेतन बैंड-2	9300-34800	4200
12	प्रवक्ता, माणित, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
13	प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
14	प्रवक्ता, कला, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
15	प्रवक्ता, गृह विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
16	प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
17	प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
18	प्रवक्ता, जीव विज्ञान, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
19	प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान-1, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
20	प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान-2, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
21	प्रवक्ता, सांख्यिकी, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
22	प्रवक्ता, समाज कार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	—	70	70	"	"	"
23	शोध प्रवक्ता, हिन्दी, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	03	—	03	"	"	"
24	शोध प्रवक्ता, संस्कृत, राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी	03	—	03	"	"	"
25	सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
26	प्रवक्ता, अंग्रेजी, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	04	—	04	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
27	प्रवक्ता, हिन्दी, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	बेतन बैंड-2	9300-34800	4200
28	प्रवक्ता, अंग्रेजी, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
29	प्रवक्ता, संस्कृत, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
30	प्रवक्ता, उर्दू, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
31	प्रवक्ता, गणित, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
32	प्रवक्ता, जीव विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
33	प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
34	प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
35	प्रवक्ता, इतिहास, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
36	प्रवक्ता, भूगोल, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
37	प्रवक्ता, नागरिक शास्त्र, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
38	प्रवक्ता, गृह विज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
39	प्रवक्ता, कला, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
40	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
41	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
42	प्रवक्ता, अध्यापन शास्त्र, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
43	सीनियर टेस्टर, मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
44	परामर्शदाता, मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
45	गाइडेंस काउन्सलर, मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
46	मनोवैज्ञानिक (अराजपत्रित), मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
47	व्यवसायिक निर्देशन अधिकारी, मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
48	सांख्यिकी अधिकारी, मनोविज्ञानशाला, उ०प्र०, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
49	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"
50	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
51	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा	01	—	01	"	"	"
52	प्रवक्ता, मनोविज्ञान, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा	01	—	01	"	"	"
53	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	01	—	01	"	"	"
54	प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	02	—	02	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
55	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	01	—	01	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
56	प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	04	—	04	"	"	"
57	प्रवक्ता, शक्ति, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	01	—	01	"	"	"
58	प्रवक्ता, जीव विज्ञान, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर	01	—	01	"	"	"
59	वोकेशनल गाइडेंस कोऑर्डीनेटर, मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र	10	—	10	"	"	"
60	सहायक मनोवैज्ञानिक, मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्र	10	—	10	"	"	"

परिशिष्ट "ख"

(नियम 8 देखें)

क्रम सं०	पद का नाम	अनिवार्य/अधिमानी अर्हताएं
1.	परिशिष्ट-क में क्रमांक-4 - शोध सहायक, विज्ञान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	अनिवार्य : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित गणित या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०ए०डो उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । अधिमानी : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम०ए०डो उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी.एच.डी० उपाधि ।
2	परिशिष्ट-क में क्रमांक-5 - शोध सहायक, सामाजिक विषय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ	अनिवार्य : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित इतिहास या अर्थशास्त्र या भूगोल या राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०ए०डो उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । अधिमानी : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम०ए०डो उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी.एच.डी० उपाधि ।
3	परिशिष्ट-क में क्रमांक-13, 54 और 56 - प्रवक्ता, शारीरिक शिक्षा	अनिवार्य : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित एम०पी०ए०डो या एम०पी०ई० और बी०पी०ए०डो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । अधिमानी : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम०ए०डो उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी.एच०डी उपाधि । या (दो) स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भाषा ।

क्रम सं०	पद का नाम	अनिवार्य/अधिमान्य अर्हताएं
4	परिशिष्ट-क में क्रमांक-19 - प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान-1	अनिवार्य : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित इतिहास या राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । अधिमान्य : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी०एच०डी उपाधि । (दो) यदि इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि हो तो स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान । (तीन) यदि राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि हो तो स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में इतिहास । (चार) यदि अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि हो तो स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में इतिहास या राजनीति विज्ञान ।
5	परिशिष्ट-क में क्रमांक-20 - प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान-2	अनिवार्य : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । अधिमान्य : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । या किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी०एच०डी उपाधि । (दो) स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र ।
6	परिशिष्ट-क में क्रमांक-21 और 48 - प्रवक्ता, सांख्यिकी तथा सांख्यिकी अधिकारी ।	अनिवार्य : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०एड० उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि ।

क्रम सं०	पद का नाम	अनिवार्य/अधिमानी अर्हताएं
		अधिमानी : (एक) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में पी.एच.डी. उपाधि । (दो) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.सी.ओ. ।
7	परिशिष्ट-क में क्रमांक-14 और 39 - प्रवक्ता, कला	अनिवार्य : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट या परफार्मिंग आर्ट या एप्लाइड आर्ट या डिजिटल आर्ट में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । अधिमानी : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी.ओ.एड. उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी.एच.डी. उपाधि ।
8	परिशिष्ट-क में क्रमांक-4, 5, 13, 14, 19, 20, 21, 39, 48, 54, और 56 पर उल्लिखित पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों के लिए	अनिवार्य : (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित संबंधित शाखा के विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी.ओ.एड. उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि । अधिमानी : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम.ओ.एड. उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पी.एच.डी. उपाधि ।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 657/XV-11-2010-1499(204)-2004, dated May 26, 2010:

No. 657/XV-11-2010-1499(204)-2004

Dated Lucknow, May 26, 2010

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Teacher Education (Lecturer's Cadre) Service.

THE UTTAR PRADESH TEACHER EDUCATION (LECTURER'S CADRE) SERVICE RULES, 2010

PART I- GENERAL

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Teacher Education (Lecturer's Cadre) Service Rules, 2010" Short title and commencement

(2) They shall come into force at once.

2. The Uttar Pradesh Teacher Education (Lecturer's Cadre) Service is a subordinate *non-gazetted* service comprising Group "C" posts. Status of the service

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context: Definitions

(a) "Act" means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) "appointing authority" means the Director, State Council of Educational Research and Training, Uttar Pradesh, Lucknow;

(c) "citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(e) "Constitution" means the Constitution of India;

(f) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(g) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(h) "member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service;

(i) "other backward classes of citizens" means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(j) "service" means the Uttar Pradesh Teacher Education (Lecturer's Cadre) Service;

(k) "substantive appointment" means an appointment, not being an *ad hoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being, by executive instructions issued by the Government;

(l) "year of recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART II - CADRE

Cadre of service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of post therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Appendix "A":

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III- RECRUITMENT

Source of recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made by direct recruitment through the Commission.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV- QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be:

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE-A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the service must possess the qualifications specified against each post in the Appendix "B". Academic qualification

9. A candidate who has:

Preferential qualification

(i) the preferential qualification in respect of a post mentioned in rule 8, or

(ii) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(iii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies are advertised: Age

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. Character

NOTE-Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service: Marital Status

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10 contained in chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part III. Physical fitness

PART V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14. The appointing authority shall determine and intimate to the commission the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. Determination of vacancies

15. (1) Application for being considered for selection shall be called by the Commission in the form published in the advertisement issued by the Commission. Procedure for direct recruitment

Commission.

(2) The Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications, as they consider proper.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

PART VI-APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY**Appointment**

16. (1) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 15.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection.

Probation

17. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, his services may be dispensed with.

(4) A probationer whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation

18. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory;

(b) his integrity is certified; and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

19. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART VII-PAY ETC.

20. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

Scales of pay

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given in Appendix "A".

21. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Pay during probation

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII-OTHER PROVISIONS

22. No recommendations either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Canvassing

23. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulation and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Regulation of other matters

24. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Relaxation from the conditions of service

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

25. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Savings

By order,
JITENDRA KUMAR
Sachiv.

APPENDIX "A"
[See RULE 4 (1) and 20(2)]

Serial no.	Name of the post	Number of posts			Scale of pay		
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	Name of pay band/ scale of pay	Corres- ponding pay band/ scale of pay (Rs.)	Corres- ponding grade pay (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Research Assistant, Hindi, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	Pay Band-2	9300-34800	4200
2	Research Assistant, English, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	"	"	"
3	Research Assistant, Mathematics, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	"	"	"
4	Research Assistant, Science, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	"	"	"
5	Research Assistant, Social Studies, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	"	"	"
6	Research Assistant, Education, State Council of Educational Research and Training, UP, Lucknow	01	-	01	"	"	"
7	Lecturer, Education, District Institute of Education and Training	-	140	140	"	"	"
8	Lecturer, Psychology, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
9	Lecturer, Hindi, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
10	Lecturer, English, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
11	Lecturer, Urdu, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
12	Lecturer, Mathematics, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
13	Lecturer, Physical Education, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Lecturer, Art, District Institute of Education and Training	-	70	70	Pay Band-2	9300-34800	4200
15	Lecturer, Home Science, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
16	Lecturer, Physics, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
17	Lecturer, Chemistry, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
18	Lecturer, Biology, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
19	Lecturer, Social Science-1, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
20	Lecturer, Social Science-2, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
21	Lecturer, Statistics, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
22	Lecturer, Social Work, District Institute of Education and Training	-	70	70	"	"	"
23	Shodh Pravakta, Hindi, Rajya Hindi Sansthan, Varanasi	03	-	03	"	"	"
24	Shodh Pravakta, Sanskrit, Rajya Hindi Sansthan, Varanasi	03	-	03	"	"	"
25	Assistan Professor, English Language Teaching Institute, Allahabad	02	-	02	"	"	"
26	Lecturer, English, English Language Teaching Institute, Allahabad	04	-	04	"	"	"
27	Lecturer, Hindi, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	"	"	"
28	Lecturer, English, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	"	"	"
29	Lecturer, Sanskrit, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
30	Lecturer, Urdu, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
31	Lecturer, Mathematics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Lecturer, Biology, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	Pay Band-2	9300-34800	4200
33	Lecturer, Chemistry, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
34	Lecturer, Physics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
35	Lecturer, History, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	"	"	"
36	Lecturer, Geography, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
37	Lecturer, Civics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
38	Lecturer, Home Science, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
39	Lecturer, Art, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
40	Lecturer, Education, State Institute of Education, Allahabad	02	-	02	"	"	"
41	Lecturer, Psychology, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
42	Lecturer, Economics, State Institute of Education, Allahabad	01	-	01	"	"	"
43	Senior Tester, Bureau of Psychology, UP, Allahabad	02	-	02	"	"	"
44	Counsellor, Bureau of Psychology, UP, Allahabad	02	-	02	"	"	"
45	Guidance Counsellor, Bureau of Psychology, UP, Allahabad	02	-	02	"	"	"
46	Psychologist (non-gazetted), Bureau of Psychology, UP, Allahabad	02	-	02	"	"	"
47	Vocational Guidance Officer, Bureau of Psychology, U.P., Allahabad	01	-	01	"	"	"
48	Statistic Officer, Bureau of Psychology, UP, Allahabad	01	-	01	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Lecturer, Education, Government Nursery Training College, Allahabad	02	-	02	Pay Band-2	9300-34800	4200
50	Lecturer, Psychology, Government Nursery Training College, Allahabad	01	-	01	"	"	"
51	Lecturer, Education, Government Nursery Training College, Agra	01	-	01	"	"	"
52	Lecturer, Psychology, Government Nursery Training College, Agra	01	-	01	"	"	"
53	Lecturer, Education, Government Physical Training College, Allahabad	01	-	01	"	"	"
54	Lecturer, Physical Education, Government Physical Training College, Allahabad	02	-	02	"	"	"
55	Lecturer, Education, Government Physical Training College, Rampur	01	-	01	"	"	"
56	Lecturer, Physical Education, Government Physical Training College, Rampur	04	-	04	"	"	"
57	Lecturer, Mathematics, Government Physical Training College, Rampur	01	-	01	"	"	"
58	Lecturer, Biology, Government Physical Training College, Rampur	01	-	01	"	"	"
59	Vocational Guidance Counsellor, Regional Psychological Centre	10	-	10	"	"	"
60	Assistant Psychologist, Regional Psychological Centre	10	-	10	"	"	"

APPENDIX "B"
(See Rule 8.)

Serial no.	Name of post	Essential/Preferential Qualification
1	2	3
1.	Serial number 4 in Appendix-"A" – Research Assistant, Science, SCERT, UP, Lucknow	Essential: (i) Post graduate Degree in Mathematics or Biology or Chemistry or Physics with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. (ii) B.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to, Preferential: M.Ed. Degree from a university established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. or Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject.
2.	Serial number 5 in Appendix-"A" – Research Assistant, Social Studies, SCERT, U.P., Lucknow	Essential: (i) Post graduate Degree in History or Economics or Geography or Political Science with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. (ii) B.Ed Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. Preferential: M.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to, or Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject.
3.	Serial number 13, 54, 56 in Appendix-"A" – Lecturer, Physical Education	Essential: (i) M.P.Ed. or M.P.E. and B.P.Ed. with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to Preferential: (i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to, or Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject. (ii) Language as a subject at graduation level.
4.	Serial number 19 in Appendix-"A" – Lecturer, Social Science-1	Essential: (i) Post-graduate Degree in History or Political Science or Economics with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. (ii) B.Ed Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to.

1	2	3
		Preferential: (i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to, or Ph.D. Degree from a recognised university in respective subjects. (ii) If Post-graduate Degree in History then Political Science as a subject at graduation level (iii) If Post-graduate Degree in Political Science then History as a subject at graduation level (iv) If Post-graduate Degree in Economics then History or Political Science as a subject at graduation level.
5.	Serial number 20 in Appendix-"A" – Lecturer, Social Science-2	Essential: (i) Post graduate Degree in Geography with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. (ii) B.Ed Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. Preferential: (i) M.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to, or Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject. (ii) Economics as a subject at graduation level.
6.	Serial number 21 and 48 in Appendix-"A" – Lecturer, Statistics and Statistics Officer	Essential: (i) Post graduate Degree in Statistics or Economics with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. (ii) B.Ed Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. Preferential: (i) Ph.D. Degree in Statistics or Economics from a recognised university. (ii) MCA from a recognised University.
7.	Serial number 14 and 39 in Appendix-"A" – Lecturer, Art	Essential: Post graduate degree in Fine Art or Visual Art or Performing Art or Applied Art or Digital Art with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. Preferential: (i) B.Ed Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to, or Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject.
8.	For all other posts except the posts mentioned at serial numbers 4, 5, 13, 14, 19, 20, 21, 39, 48, 54 and 56 in Appendix-"A"	Essential: (i) Post graduate Degree in respective school subjects with at least 55 percent marks from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. (ii) B.Ed Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to. Preferential: M.Ed. Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent there to, or Ph.D. Degree from a recognised University in respective subject.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 174 राजपत्र (हि०)-(383)-2010-597-प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
 पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 7 सा० शिक्षा-(384)-2010-800-प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।